संख्या-11/2023/430/39-4-2023/001-15-116-2022

प्रेषक,

देवी शंकर शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 17 अप्रैल, 2023

विषय - वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में प्रावधानित धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान सं0-82 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-104-सतर्कता-05-लोक आयुक्त संगठन (भारित) के मदों के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशियों के सापेक्ष रू0-12,86,30,000/- (रूपये बारह करोड़ छियासी लाख तीस हजार मात्र) व्यय हेतु श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(2) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशें का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(3) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों के कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 के नियम/शर्तों एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2070001040500 (लोक आयुक्त संगठन)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	01 वेतन => (भारित)	5,08,00,000 (रुपये पांच करोड़ आठ लाख मात्र)
2	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	02 मजदूरी => (भारित)	14,50,000 (रुपये चौदह लाख पचास हजार मात्र)
3	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	03 मंहगाई भत्ता => (भारित)	2,28,60,000 (रुपये दो करोड़ अट्ठाईस लाख साठ हजार मात्र)
4	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	04 यात्रा व्यय => (भारित)	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
5	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय => (भारित)	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
6	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	06 अन्य भत्ते => (भारित)	21,00,000 (रुपये इक्कीस लाख मात्र)
7	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	07 मानदेय => (भारित)	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
8	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	08 कार्यालय व्यय => (भारित)	99,00,000 (रुपये निन्यानवे लाख मात्र)
9	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	09 विद्युत देय => (भारित)	32,00,000 (रुपये बत्तीस लाख मात्र)
10	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	10 जलकर / जल प्रभार => (भारित)	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
11	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई => (भारित)	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण => (भारित)	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
13	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	13 टेलीफोन पर व्यय => (भारित)	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
14	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद => (भारित)	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
15	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान => (भारित)	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
16	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व => (भारित)	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
17	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय => (भारित)	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
18	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	29 अनुरक्षण => (भारित)	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
19	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	38 अन्तरिम सहायता => (भारित)	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
20	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	42 अन्य व्यय => (भारित)	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
21	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय => (भारित)	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
22	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	45 अवकाश यात्रा व्यय =>	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			(भारित)	
23	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय => (भारित)	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
24	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय => (भारित)	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
25	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	49 चिकित्सा व्यय => (भारित)	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
26	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	51 वर्दी व्यय => (भारित)	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
27	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	55 मकान किराया भत्ता => (भारित)	41,20,000 (रुपये इकतालीस लाख बीस हजार मात्र)
28	082	2070001040500 लोक आयुक्त संगठन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान => (भारित)	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
	कुल			**12,86,30,000** **(रुपये बारह करोड़ छियासी लाख तीस हजार मात्र)**

महायोग	12,86,30,000 (रुपये बारह करोड़ छियासी लाख तीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

देवी शंकर शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(5) वित्त नियंत्रक, लोक आयुक्त संगठन, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) अनुभागीय गार्ड बुक/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।
(7) कम्प्यूटर सहायक को शासनादेश अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

देवी शंकर शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।